दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय सुरक्षित : 02.02.2023

निर्णय पारित : 21.04.2023

वै.अ.(परि.न्या.) 189/2022

सीमा देवी ....अपीलार्थी

बनाम

श्री रंजीत कुमार भगत ....प्रत्यर्थी

इस मामले में उपस्थित होने वाले अधिवक्ता:

अपीलार्थी हेतु : अपीलार्थी स्वयं

श्री नीरज शेखर, डॉ सुमित कुमार तथा श्री केशव भारती, अधिवक्तागण सह प्रत्यर्थी स्वयं

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजीव सचदेवा
माननीय न्यायमूर्ति श्री विकास महाजन

निर्णय

विकास महाजन, न्या.,

1. वर्तमान अपील दिनांक 03.02.2006 के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है जिसके द्वारा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, दिल्ली ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश IX नियम 13 के तहत अपीलार्थी द्वारा दायर उस आवेदन को खारिज कर दिया गया है, जिसमें दिनांक 14.05.2003 को एचएमए संख्या 849/2001 में पक्षकारों के मध्य पारित एक पक्षीय निर्णय एवं विवाह विच्छेद की डिक्री को अपास्त करने की मांग की गई थी|

2. पक्षकारों के बीच दिनांक 04.05.1998 को ग्राम मालीगंज, जिला मधेपुरा, बिहार में विधिपूर्वक विवाह संपन्न हुआ था और उक्त विवाह से दिनांक 23.07.1999 को एक लड़की का जन्म हुआ था, जो वर्तमान में 23 वर्ष की है|

3. पक्षकारों के बीच उत्पन्न हुए विवाद एवं मतभेद के कारण प्रत्यर्थी-पति ने दिनांक 27.07.2001 को जिला न्यायाधीश सहरसा, बिहार के न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी के विरुद्ध विवाह विच्छेद याचिका दायर की|

4. इसके बाद, प्रत्यर्थी-पति द्वारा याचिका वापस लेने के आवेदन पर सहरसा स्थित न्यायालय ने विवाह-विच्छेद की याचिका को उपयुक्त अधिकारिता वाले न्यायालय में दायर किये जाने के लिए रिटर्न कर दिया|

5. उसके बाद, जिला न्यायालय, दिल्ली में दिनांक 15.10.2001 को प्रत्यर्थी ने क्रूरता एवं परित्यजन के आधार पर हिंदू-विवाह अधिनियम, 1995 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 13(1) (i-क) तथा (i-ख) के तहत विवाह-विच्छेद की याचिका दायर की| अपीलार्थी-पत्नी के विरुद्ध समन जारी किए गए लेकिन उसने इसे मानने से इन्कार कर दिया| आदेशिका तामिलकर्ता की इस आख्या के आधार पर कि अपीलार्थी ने समन को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है, अपीलार्थी-पत्नी दिनांक 08.04.2003 को विवाह-विच्छेद कार्यवाहियों में अग्रसर हुई|आख़िरकार, "परित्यजन" के आधार पर प्रत्यर्थी-पति के पक्ष में तथा अपीलार्थी-पत्नी के खिलाफ विवाह-विच्छेद की याचिका को अनुमति दी गई तथा "परित्यजन" के आधार पर विवाह-विच्छेद के

एकपक्षीय मामले में प्रत्यर्थी-पत्नी के पक्ष में तथा अपीलार्थी-पत्नी के विरुद्ध दिनांक 14.05.2003 को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, दिल्ली, द्वारा विवाह-विच्छेद की डिक्री पारित की गई|

6. लगभग 18 महीने बाद, दिनांक 25.11.2004 को अपीलार्थी-पत्नी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IX नियम 13 के अंतर्गत एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाते हुए कहा गया की विवाह-विच्छेद की याचिका में न्यायालय द्वारा जारी किए गए समन को न ही उसे दिया गया और न ही उसके द्वारा स्वीकार करने से इनकार किया गया| उसके द्वारा अभिवचन किया गया कि उसे एक पक्षीय विवाह-विच्छेद डिक्री दिनांकित 14.05.2003 के विषय में उसे दिनांक 30.08.2004 को ही पता चला जब एक पक्षीय विवाह विच्छेद डिक्री की प्रति को प्रत्यर्थी-पति द्वारा मधेपुरा, बिहार में स्थित न्यायालय के समक्ष लंबित उसकी भरण पोषण की कार्यवाही में दायर किया गया| इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी-पत्नी द्वारा अभिवचन किया गया कि पहले प्रत्यर्थी-पति ने सहरसा स्थित न्यायालय में एक विवाह-विच्छेद मामला दायर किया था, जिसे उसके द्वारा मधेपुरा, बिहार स्थित न्यायालय के समक्ष दायर करने के लिए वापिस ले लिया गया था|

7. प्रत्यर्थी ने अपना उत्तर दायर किया, यह अभिवचन करते हुए कि उसे स्वयं के द्वारा दायर की गई विवाह-विच्छेद याचिका के बारे में जानकारी थी

और उसने पहले ही हिंदू रीति-रिवाज़ो के अनुसार दिनांक 24.11.2004 को श्रीमती संजू देवी, सुपुत्री श्री रामजी प्रसाद भगत से पुन: विवाह कर लिया|

8. विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, दिल्ली ने आक्षेपित आदेश के द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IX नियम 13 के तहत अपीलार्थी-पत्नी के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अपीलार्थी-पत्नी को दिल्ली न्यायालय में लंबित विवाह-विच्छेद की याचिका के बारे में पता था और यह प्रतिविरोध कि उसे विधिवत तामील नहीं कराया गया था और उसने याचिका के नोटिस को अस्वीकार नहीं किया, को स्वीकार नहीं किया जा सकता है| इस निष्कर्ष को अधिमत देने हेतु विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने पक्षकारों के बीच अन्य मुकदमों में अभिवचनों और पारित आदेशों पर भरोसा जताया है, जिसमें दिल्ली के न्यायालय में प्रत्यर्थी-पति द्वारा दायर याचिका का एक विशेष संदर्भ है| विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने अपीलार्थी-पत्नी द्वारा भरण-पोषण [विविध मामला सं. 27/2001] की मांग को लेकर दायर की गई याचिका में अपीलार्थी-पत्नी और उसके पिता की प्रतिपरीक्षा पर भी भरोसा जताया है जिसमें उन्होंने पक्षकारों के बीच विवाह-विच्छेद की कार्यवाही लंबित होने की बात स्वीकार की थी| आक्षेपित आदेश का तात्विक भाग इस निम्नानुसार है:-

> *“इस प्रकार पूर्ण अभिलेख स्पष्ट रूप से इस आशय की बात करता है कि आवेदक को मधेपुरा के विद्वान सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका संख्या 10/2002 की अग्रिम जमानत कार्यवाही दिनांकित 25.02.2002 के माध्यम से दिल्ली के न्यायालयों में लंबित*

विवाह-विच्छेद की याचिका के बारे में पता था, यह कि आवेदक दिल्ली के न्यायालयों के समक्ष लंबित विवाह-विच्छेद याचिका के विषय में अवगत था, मधेपुरा के विद्वान सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के समक्ष गैर आवेदक द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका संख्या 27/2002 में दिए गए प्रकथनों के मद्देनजर आवेदक को न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, मधेपुरा के न्यायालय में गैर-आवेदक द्वारा विविध मामला सं. 27/2001 में कारण बताओ याचिका दिनांकित 22.07.2002 के माध्यम से पता था कि गैर-आवेदक द्वारा विवाह-विच्छेद की याचिका दिल्ली के न्यायालयों में दायर की गई है| आपराधिक विविध सं. 12273/2002 मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के दिनांक 16.09.2002 के आदेश के मद्देनजर, आवेदक को दिल्ली में लंबित विवाह-विच्छेद याचिका के लंबित होने की भी जानकारी थी। अनावेदक द्वारा दायर अग्रिम जमानत आवेदन, आवेदक को अनावेदक द्वारा दायर विवाह-विच्छेद याचिका के अतिरिक्त अन्य विवाह-विच्छेद याचिका के लंबित होने की जानकारी थी, जिसे विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा दिनांक 21.08.2001 को अधिमत दिया गया जो दिनांक 31.11.2002 को लंबित थी| विविध मामला सं. 27/2001 में उसके बयान दिनांकित 30.11.2002 के अनुसार, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, मधेपुरा के न्यायालय के समक्ष उसके प्रतिपरीक्षण के अनुसार, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, मधेपुरा की न्यायालय में मामला संख्या 27/2001 में दिनांक 02.12.2002 को हुए प्रतिपरीक्षण के अनुसार आवेदक के पिता श्री विजय कुमार भगत भी वापस ली गयी विवाह-विच्छेद याचिका के अतिरिक्त एक अन्य विवाह-विच्छेद याचिका के लंबित होने के विषय में अवगत थे। श्री विजय कुमार भगत के प्रतिपरीक्षण के अनुसार, विवाह-विच्छेद याचिका की एक प्रति आवेदक के पिता के अधिवक्ता के पास थी।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आवेदक की यह दलील कि उसे दिल्ली के न्यायालय में विवाह-विच्छेद की कार्यवाही लंबित होने की जानकारी नहीं

थी और उसे याचिका का नोटिस विधिवत नहीं दिया गया था और उसने इसे स्वीकार करने से इनकार नहीं किया था, स्वीकार्य नहीं है।

9. स्वयं उपस्थित होने वाला अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया है कि प्रत्यर्थी-पति ने न केवल अपीलार्थी के साथ धोखाधड़ी की है बल्कि माननीय उच्च न्यायलय के साथ भी छल किया है| वह प्रस्तुत करती है कि पूर्व विवाह-विच्छेद याचिका प्रत्यर्थी द्वारा जिला न्यायधीश, सहरसा के समक्ष दायर की गई थी, लेकिन उक्त याचिका को प्रत्यर्थी द्वारा यह कहते हुए वापस ले ली गई थी कि सहरसा जिला न्यायालय का कोई क्षेत्राधिकार नही है और केवल मधेपुरा जिला न्यायालय का ही क्षेत्राधिकार है और तद्नुसर इस तरह की वापसी की अनुमति जिला न्यायधीश, सहरसा द्वारा दिनांक 21.08.2001 को दी गई थी| वह दलील देती हैं कि अपीलार्थी की हमेशा यह धारणा थी कि विवाह-विच्छेद की याचिका केवल बिहार के मधेपुरा में दायर की जाएगी, लेकिन प्रत्यर्थी ने दिल्ली के न्यायालय में विवाह-विच्छेद की याचिका दायर करके छल किया| इसके अतिरिक्त वह प्रस्तुत करती हैं कि उसे अतिरिक्त जिला न्यायधीश, दिल्ली के समक्ष लंबित विवाह-विच्छेद याचिका के बारे में कोई जानकारी नहीं थी| इस के अतिरिक्त दलील दी गयी है कि अपीलार्थी शिकायत मामला सं. 577/2001 में प्रत्यर्थी और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा दायर अग्रिम जमानत आवेदनों में पक्षकार नहीं था, इसलिए, उक्त आवेदनों या उसमे पारित आदेशों में किए गए प्रकथनों के आधार पर जानकारी होना नहीं माना जा सकता है| इस प्रकार,

उन्होंने आक्षेपित आदेश के साथ-साथ दिनांक 14.05.2003 के विवाह-विच्छेद निर्णय एवं डिक्री को अपास्त करने के लिए प्रार्थना की|

10. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता श्री नीरज शेखर की दलील है कि समन की सेवा को पहले अपीलार्थी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था और इस प्रकार की मनाही को डाक अधिकारियों द्वारा पंजीकृत लिफाफे पर दर्ज किया गया है| इसके बाद, समन जिला न्यायधीश, मधेपुरा के माध्यम से जारी करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन अपीलार्थी ने पुन इसे स्वीकार करने से मना कर दिया, इसलिए इसकी एक प्रति समन तामीलकर्ता द्वारा अपीलार्थी के निवास स्थान के एक विशिष्ट भाग पर चिपकाई गई थी| इस प्रकार, उन्होंने आग्रह किया कि अपीलार्थी को विधिवत तामील कराई गई थी| इसके अतिरिक्त वह तर्क देते हैं कि किसी भी मामले में, प्रतिवादी को विवाह-विच्छेद याचिका में सुनवाई की तारीख का नोटिस था, इसलिए, विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायधीश ने एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने से मना कर के उचित किया| अपने तर्क पर ज़ोर देने के लिए, उन्होंने न्यायालयका ध्यान आकर्षित किया - (i) दिनांक 25.02.2002 के आदेश की ओर, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी-पति के परिवार के सदस्यों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी; (ii) शिकायत मामला सं. 577/2001 में प्रत्यर्थी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 498क/504/406 के तहत दायर अग्रिम जमानत आवेदन सं. 27/2002; (iii) भरण-पोषण मामला सं. 27/2001 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मधेपुरा के समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा दायर किया गया

उत्तर; और (iv) आप.वि.सं. 12273/2002 में भारतीय दंड संहिता की धारा 498क/504/406 के तहत शिकायत मामले में अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु आवेदन पर पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 16.09.2002 का वह आदेश जिसमें दिल्ली में लंबित विवाह-विच्छेद की कार्यवाही का संदर्भ शामिल है। वह आगे विविध मामला सं. 27/2001 में दिनांक 30.11.2002 को न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, मधेपुरा के न्यायालय में अभिलिखित अपीलार्थी के उस कथन का भी उल्लेख करते हैं जो भरण-पोषण की मांग करता है जिसमें उसने स्वीकार किया है कि प्रत्यर्थी ने उसके खिलाफ विवाह-विच्छेद का मामला दायर किया है। उन्होंने उसी मामले में अपीलार्थी के पिता श्री विजय कुमार भगत के दिनांक 02.12.2002 के बयान की ओर भी न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें अपीलार्थी के पिता ने प्रत्यर्थी द्वारा विवाह-विच्छेद का मामला दायर किए जाने के बारे में और विवाह-विच्छेद के मामले की एक प्रति उनके अधिवक्ता के पास होना स्वीकार किया है। विद्वान अधिवक्ता आगे प्रतिविरोध करते हैं कि न केवल प्रत्यर्थी ने पुनर्विवाह किया है, बल्कि उक्त विवाह से उसके दो बच्चे हैं, इसलिए, वर्तमान अपील निरर्थक है।

11. हम नें अपीलार्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होने के साथ-साथ प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई विरोधी प्रस्तुतियों पर विचार किया है और अभिलेख की जांच की है|

12. पंजीकृत/स्पीड पोस्ट के माध्यम से समन के परिदान का तरीका और प्रत्यर्थी द्वारा समन वाली डाक वस्तु का परिदान लेने से इनकार करने का

प्रभाव संहिता के आदेश V के नियम 9 में प्रदान किया गया है, जो 2002 के संशोधन के बाद निम्नानुसार है:-

> "9. *न्यायालय द्वारा समन का परिदान (1) जहां प्रतिवादी उस न्यायालय की अधिकारिता के भीतर निवास करता है, जिसमें वाद संस्थित किया गया है या उस अधिकारिता के भीतर निवास करने वाला उसका ऐसा अभिकर्ता है, जो समन की तामील का प्रतिग्रहण करने के लिए सशक्त है, वहां समन जब तक कि न्यायालय अन्यथा निदेश न करे उचित अधिकारी को, उसके द्वारा या उसके अधीनस्थों में से एक या ऐसी कूरियर सेवा द्वारा, जो न्यायालय अनुमोदित हो तामील किए जाने के लिए परिदत किया या भेजा जाएगा।*
>
> *(2) उचित अधिकारी उस न्यायालय से भिन्न, जिसमें वाद संस्थित किया गया है, किसी न्यायालय का अधिकारी हो सकेगा और जहां वह ऐसा अधिकारी है वहां समन उसे ऐसी रीति से भेजा जा सकेगा जो न्यायालय निदेश दे।*
>
> *(3) समन की तामील, प्रतिवादी या तामील का प्रतिग्रहण करने के लिए सशक्त किए गए उसके किसी अभिकर्ता का संबांधित रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा अथवा ऐसी कूरियर सेवा द्वारा, जो उच न्यायालय या उपनियम (1) में निर्दिष्ट न्यायालय द्वारा अनुमोदित हो, अथवा उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों में यथा उपबंधित दस्तावेजों (जिसके अंतर्गत फैक्स संदेश या इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा भी है) के पारेषण के किसी अन्य साधन द्वारा उसकी एक प्रति के प्रतिदान या पारेषण द्वारा की जा सकेगी: परंतु यह कि इस उपनियम के अधीन समन की तामील वादी के खर्च पर की जाएगी।*
>
> *(4) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई प्रतिवादी उस न्यायालय की अधिकारिता के बाहर निवास करता है, जिसमें वाद संस्थित किया गया है और न्यायालय यह निदेश*

देता है कि उस प्रतिवादी को समनों की तामील ऐसे माध्यम से की जाए, जैसा कि उपनियम (3) में निर्दिष्ट है (रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाक से भिन्न), वहां नियम 21 के उपबंध लागू नहीं होंगे।

(5) जब कोई अभिस्वीकृति या अन्य पावती, जिस पर प्रतिवादी या उसके अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर होने तात्पर्थित हैं, न्यायालय द्वारा प्राप्त की जाती है अथवा डाक वस्तु, जिसमें समन अंतर्विष्ट है, न्यायालय द्वारा वापस प्राप्त किए जाते हैं जिस पर डाक कर्मचारी या कूरियर सेवा द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किया गया इस आशय का पृष्ठांकन तात्पर्यत है कि प्रतिवादी या उसके अभिकर्ता ने जब समन उसे भेजे गए या पारेषित किए गए थे तो उस डाक वस्तु का परिदान लेने से इकार कर दिया है। जिसमें समन अंतर्विष्ट थे अथवा उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट किसी अन्य साधन से लेने से इंकार कर दिया है, तो समन निकालने वाला न्यायालय यह घोषणा करेगा कि समन सम्यक् रूप से प्रतिवादी पर तामील कर दिए गए हैं:

परंतु जहां समन उचित रुप में पता लिखकर, उस पर पूर्व संदाय करके और रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा सम्यक् रुप से भेजा गया था, वहां इस उपनियम में निर्दिष्ट घोषणा इस तथ्य के होते हुए भी की जाएगी कि अभिस्वीकृति खो जाने या इधर-उधर हो जाने या किसी अन्य कारण से

समन निकालने की तारीख से तीस दिन के भीतर न्यायालय द्वारा प्राप्त नहीं हुई है।

(6) यथास्थिति, उच्च न्यायालय या जिला न्यायाधीश, उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए कूरियर अभिकरणों का एक पैनल तैयार करेगा।

13. उपरोक्त प्रावधान के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आदेश 5 नियम नियम 9(3) के तहत निर्धारित समन के परिदान के माध्यमों में से एक पंजीकृत पोस्ट

पावती देय या स्पीड पोस्ट के माध्यम की सेवा शामिल है| आदेश 5 नियम 9(5) में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि यदि प्रत्यर्थी द्वारा समन वाली डाक वस्तु की डिलीवरी लेने से इन्कार किया जाता है और उसे न्यायालय द्वारा डाक कर्मचारी द्वारा किए गए समर्थन के साथ वापस किया जाता है और उसे न्यायालय द्वारा डाक कर्मचारी द्वारा किए गए समर्थन के साथ वापस प्राप्त किया जाता है, तो समन जारी करने वाला न्यायालय यह घोषणा करने के लिए बाध्य है कि प्रत्यर्थी को समन विधिवत तामील किया गया है|

14. संहिता का आदेश V नियम 17 कुछ हद तक इसी तरह की स्थिति से संबंधित है जहां सेवारत अधिकारी समन को अस्वीकृत / नामंजूर करने की कोशिश करता है और प्रत्यर्थी पावती को स्वीकार करने या हस्ताक्षर करने से इन्कार कर देता है| जो आदेश V के नियम 17 के अंतर्गत इस प्रकार है:

> *"17. जब प्रतिवादी तामील का प्रतिग्रहण करने से इंकार करे या न पाया जाएं तब प्रक्रिया - जहां प्रतिवादी या उसका अभिकर्ता या उपरोक्त जैसा अन्य व्यक्ति अभिस्वीकृति पर हस्ताक्षर करने से इंकार करता है, या जहां तामील करने वाला अधिकारी सभी सम्यक् और युक्तियुक्त तत्परता बरतने के पश्चात् ऐसे प्रतिवादी को न पा सके, [जो अपने निवास स्थान से उस समय अनुपस्थित है, जब उस पर समन की तामील उसके निवास-स्थान पर की जानी है और युक्तियुक्त समय के भीतर उसके निवास स्थान पर पाए जाने की संभावना नहीं है] और ऐसा कोई अभिकर्ता नहीं है जो समन की तामील का प्रतिग्रहण उसकी ओर से करने के लिए सशक्त है और न कोई ऐसा अन्य व्यक्ति है या कारोबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है,*

बाहरी दीवार पर या किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर समन की एक प्रति लगाएगा और तब वह मूल प्रति को उस पर पृष्ठांकित या उससे उपाबद्ध ऐसी रिपोर्ट के साथ, जिसमें यह कथित होगा कि उसने प्रति को ऐसे लगा दिया है और वे कौन सी परिस्थितियाँ थीं जिनमें उसने ऐसा किया, कथित होंगी और जिसमें उस व्यक्ति का (यदि कोई हो) नाम और पता कथित होगा जिसने गृह पहचाना था और जिसकी उपस्थिति में प्रति लगाई गई थी, उस न्यायालय को लौटाएगा जिसने समन निकाला था।"

15. उपरोक्त प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि जब प्रत्यर्थी पावती पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है, तो सेवारत अधिकारी समन की एक प्रति बाहरी दरवाजे या घर के किसी अन्य विशिष्ट हिस्से पर चिपकाने के लिए बाध्य होता है जिसमे प्रत्यर्थी सामान्य रूप से रहता है और उस मूल समन को उस न्यायालय को वापस करने के लिए बाध्य होता है जहाँ से यह जारी किया गया था, जिसमें एक आख्या पृष्ठांकित या संलग्न हो जिसमें उसने किस तरह से प्रतिलिपि चिपकायी, जिन परिस्थितियों के तहत उसने ऐसा किया था, और उस व्यक्ति (यदि कोई हो) का नाम और पता, जिसके द्वारा घर की पहचान की गई थी और जिसकी उपस्थिति में प्रतिलिपि चिपकाई गई थी, वर्णित हो|

16. शुरू में विवाह-विच्छेद याचिका में समन अपीलार्थी को दिनांक 20.12.2001 के लिए दिनांक 16.10.2001 को जारी किया गया था, लेकिन डाक अधिकारियों ने बताया कि कई बार ढूंढे जाने पर भी पता नहीं मिल सका| पुनः, दिनांक 07.03.2002 हेतु दिनांक 20.12.2001 को नए समन जारी किए

गए पर कई बार जाने पर, डाक विभाग ने आख्या प्रस्तुत की कि प्राप्तकर्ता ने पंजीकृत डाक को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया था| अस्वीकृति के समर्थन को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी को समन तामील कराया गया, लेकिन उस समय न्यायालय ने यह घोषणा नहीं की कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश V नियम 9(5) के संदर्भ में अपीलार्थी को समन विधिवत तामील किया गया था|

17. इसके बाद दिनांक 16.05.2002 को समन जारी किया गया लेकिन जारी की गई आदेशिका वापस नहीं मिली| विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, दिल्ली ने दिनांक 28.11.2002 के आदेश द्वारा पंजीकृत डाक के माध्यम से और साथ ही संबंधित जिला न्यायाधीश के माध्यम से समन की तामील हेतु नए समन जारी किए, लेकिन उन्हें अदम तामील वापस प्राप्त कर लिया गया|

18. दिनांक 23.01.2003 को पुनः, दिनांक 08.04.2003 हेतु पंजीकृत डाक और संबंधित जिला न्यायाधीश के माध्यम से समन जारी किया गया था| पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजे गए समन को इस आख्या के साथ वापस प्राप्त किया गया कि इसे "लेने से इनकार करने पर चिपका दिया गया"| आदेशिका तामीलकर्ता ने भी अपीलार्थी को तामील कराने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि अपीलार्थी ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, इसलिए, दो गवाहों अर्थात् श्री संजीव कुमार और चौकीदार श्री पासवान की उपस्थिति में आदेशिका तामीलकर्ता की आख्या के साथ याचिका की प्रति को अपीलार्थी के निवास स्थान के सहज दृश्य भाग पर चस्पा किया गया| मधेपुरा स्थित न्यायालय के नाज़िर के समक्ष विधिवत पुष्टि की गई आदेशिका तामिलकर्ता की

आख्या अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का भाग है| इस प्रकार, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश V के नियम 17 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपीलार्थी को समन तामील किया गया था|

19. आदेशिका तामीलकर्ता की आख्या के आधार पर और पहले किए इन्कार को ध्यान में रखते हुए, विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश दिल्ली ने दिनांक 08.04.2003 के आदेश के माध्यम से अपीलार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की| हमारा यह मानना भी है कि अपीलार्थी को समन तामील कराए जाने हेतु अपनाई गई प्रक्रिया उचित थी तथा समन तामील शुदा थे| समन की तामील में कोई अनियमितता नहीं है तथा विद्वान अतिरिक्त न्यायाधीश ने उचित रूप से अभिनिर्धारित किया है कि अपीलार्थी को विवाह-विच्छेद याचिका में समन विधिवत तामील किए गए थे|

20. इस मामले का एक और पहलू भी है| भले ही समन की सेवा में कोई अनियमितता हो, फिर भी आदेश IX के नियम 13 के दूसरे परंतुक को ध्यान में रखते हुए समन की सेवा में अनियमितता के आधार पर एकपक्षीय डिक्री को अपास्त नहीं किया जा सकता है, यदि न्यायालय, इस बात से संतुष्ट है कि अपीलार्थी को सुनवाई की तारीख की सूचना मिली थी और उसके पास न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु पर्याप्त समय था| इस स्थिति पर सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IX नियम 13 के प्रावधानों को उद्धृत करना उपयुक्त है, जो कि इस प्रकार है|

*"13. **प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करना-** किसी ऐसे मामले में जिसमें डिक्री किसी प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय पारित की गई है, वह प्रतिवादी उसे अपास्त करने के आदेश के लिए आवेदन उस न्यायालय में कर सकेगा जिसके द्वारा वह डिक्री पारित की गई थी और यदि वह न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि समन की तामील सम्यक् रूप से नहीं की गई थी या वह वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर उपसंजात होने से किसी पर्याप्त हेतुक से निवारित कर रहा था तो खर्चों के बारे में, न्यायालय में जमा करने के या अन्यथा ऐसे निबंधनों पर जो वह ठीक समझे, न्यायालय यह आदेश करेगा कि जहां तक डिक्री उस प्रतिवादी के विरुद्ध है वहां तक वह अपास्त कर दी जाए, और वाद में आगे कार्यवाही करने के लिए दिन नियत करेगा:*

परन्तु जहां डिक्री ऐसी है कि केवल ऐसे प्रतिवादी के विरुद्ध अपास्त नहीं की जा सकती वहां वह अन्य सभी प्रतिवादियों या उनमें से किसी या किन्हीं के विरुद्ध भी अपास्त की जा सकेगी:

परन्तु यह और कि यदि किसी न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि प्रतिवादी को सुनवाई की तारीख की सूचना थी और उपसंजात होने के लिए और वादी के दावे का उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय था तो वह एक पक्षीय पारित डिक्री को केवल इस आधार पर अपास्त नहीं करेगा कि समन की तामील में अनियमितता हुई थी:

स्पष्टीकरण - जहां इस नियम के अधीन एक पक्षीय पारित डिक्री के विरुद्ध अपील की गई है और अपील का निपटारा इस आधार पर भिन्न किसी आधार पर कर दिया गया है कि अपीलार्थी ने अपील वापस ले ली है वहां उस एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिए इस नियम के अधीन कोई आवेदन नहीं होगा।"

21. सर्वोच्च न्यायालय ने **परिमल बनाम वीणा उर्फ भारती**, (2011) 3 एससीसी 345 मामले में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IX के नियम 13 के

दूसरे परंतुक की अनिवार्य प्रकृति पर ध्यान देते हुए टिप्पणी की कि न्यायालय ऐसे मामले में समन की सेवा में केवल अनियमितता पर एक पक्षीय डिक्री को अपास्त नहीं करेगा जहां प्रत्यर्थी को सुनवाई की तारीख का नोटिस प्राप्त था और न्यायालय में पेश होने के लिए पर्याप्त समय भी था| निर्णय का प्रासंगिक पैरा 12 निम्नानुसार है:-

> *"12 उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करना पड़ता है यदि पक्षकार न्यायालय को विश्वास दिलाता है कि समन विधिवत तामील नहीं किये गए थे या जब वाद सुनवाई के लिए पुकारा गया था तो उसे पर्याप्त कारण से उपस्थित होने से रोका गया था| <u>हांलाकि, न्यायालय समन के तामील होने में केवल अनियमितता या ऐसे मामले में, जहां प्रत्यर्थी को न्यायालय में पेश होने के लिए तारीख और पर्याप्त समय की सूचना थी, उक्त डिक्री को अपास्त नहीं करेगा| विधायिका ने अपने विवेक से द्वितीय परंतुक को प्रकृति में अनिवार्य बनाया है| इस प्रकार, द्वितीय परंतुक में निहित नियमों और शर्तों की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए न्यायालय को आवेदन स्वीकार करना अनुमेय नहीं है|"</u>*
>
> *(जोर दिया गया)*

22. अब, मामले के तथ्यों पर वापस लौटते हुए; इसमें कोई संदेह नहीं है कि दिल्ली के न्यायालय में प्रत्यर्थी द्वारा विवाह-विच्छेद याचिका दायर की गई है, जिसमें उल्लेख किया गया है - (i) अपीलार्थी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 498क/504/406 के तहत शुरू किए गए मामला संख्या 577/2001 में प्रत्यर्थी पति द्वारा दायर अग्रिम जमानत हेतु आवेदन; (ii) विद्वान सत्र न्यायाधीश, मधेपुरा का दिनांक 25.02.2002 का आदेश जिसके द्वारा उपरोक्त

मामले में प्रत्यर्थी - पति के परिवार के सदस्यों द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया (iii) सीजेएम, प्रथम श्रेणी, मधेपुरा के न्यायालय में प्रत्यर्थी से भरण-पोषण का दावा करते हुए अपीलार्थी द्वारा दायर किया गया विविध मामला सं. 27/2001 में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कारण बताओ नोटिस का उत्तर; और (iv) आप.वि.सं. 12273/2002 में पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 16.09.2002 का आदेश जिसके द्वारा प्रत्यर्थी को अग्रिम जमानत प्रदान की गई; लेकिन ये दस्तावेज विवाह-विच्छेद याचिका के संबंध में अन्य विवरणों का संकेत नहीं देते हैं जैसे कि विवाह-विच्छेद याचिका की संख्या, वह न्यायालय जिसके समक्ष यह लंबित है और सुनवाई की अगली तारीख। इसलिए, इन दस्तावेजों के आधार पर, दिल्ली के न्यायालय में लंबित विवाह-विच्छेद याचिका की जानकारी का श्रेय अपीलार्थी को दिया जा सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि उसे "सुनवाई की तारीख" की सूचना मिली थी, जो समन तामील किये जाने में अनियमितता के आधार पर एकपक्षीय डिक्री को अपास्त नहीं करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IX के नियम 13 के दूसरे परन्तुक के तहत एक आवश्यकता है।

23. तथापि, न्यायालय अपीलार्थी और उसके पिता द्वारा न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी मधेपुरा के न्यायालय में लंबित भरण-पोषण कार्यवाहियों

में प्रतिपरीक्षण में निम्नलिखित स्वीकारोक्ति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

(i) अपीलार्थी के दिनांक 30.11.1992 के बयान का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार हैः

"12. मेरे पति ने मेरे खिलाफ विवाह-विच्छेद का मामला दर्ज कराया है। मुझे नहीं पता कि विवाह-विच्छेद का मामला कब दायर किया गया था।"

(जोर दिया गया)

(ii) अपीलार्थी के पिता श्री विजय कुमार भगत के दिनांक 02.12.2022 के बयान का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार हैः

"19. *मेरी बेटी सीमा बख्तियारपुर जाती थी। मैं अपने दामाद द्वारा दायर विवाह-विच्छेद के न्यायालय मामले में शामिल नहीं हुआ हूं। मुझे हाल ही में विवाह-विच्छेद के मामले के बारे में पता चला है। अधिवक्ता साहब ने विवाह-विच्छेद के मामले की प्रतियां आदि ले ली हैं। यह सही नहीं है कि विवाह-विच्छेद का मामला शुरू में दायर किया गया था।"*

(जोर दिया गया)

अपीलार्थी और उसके पिता के बयानों को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को समन तामील किया गया है और उसने विवाह-विच्छेद याचिका की प्रति अपने अधिवक्ता को सौंप दी थी, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अपीलार्थी के पास विवाह-विच्छेद याचिका में "सुनवाई की तारीख" की सूचना थी और उसके पास न्यायालय में उपस्थित होने और प्रत्यर्थी के दावे का उत्तर देने हेतु पर्याप्त समय था।

24. ध्यान देने वाली बात है, सहरसा के न्यायालय में दायर विवाह-विच्छेद वाद दिनांक 21.08.2001 को प्रत्यर्थी द्वारा वापस ले लिया गया था, जबकि विवाह-विच्छेद की याचिका उसके द्वारा जिला न्यायालय, दिल्ली में दिनांक 15.10.2001 को दायर की गई थी, इसलिए, अपीलार्थी और उसके पिता ने क्रमशः दिनांक 30.11.2002 और 02.12.2002 को अपने बयानों में स्वीकार किया, जैसा प्रत्यर्थी द्वारा दायर विवाह-विच्छेद के मामले के संबंध में, निस्संदेह दिल्ली में दायर विवाह-विच्छेद याचिका की ओर संकेत करता है।

25. इन परिस्थितियों में, अपीलार्थी का यह प्रतिविरोध कि उसे विधिवत समन तामील नहीं कराया गया था और दिल्ली में न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा दायर विवाह-विच्छेद याचिका के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी, किसी भी गुणागुण से वंचित है।

26. अपीलार्थी का यह प्रतिविरोध कि प्रत्यर्थी ने जिला न्यायाधीश, सहरसा के समक्ष दायर विवाह-विच्छेद याचिका को जिला न्यायालय, मधेपुरा के समक्ष दायर करने के लिए वापस ले लिया था, लेकिन प्रत्यर्थी ने मधेपुरा के बजाय दिल्ली में जिला न्यायालय के समक्ष दायर करके अपीलार्थी के साथ धोखाधड़ी की थी, भी तथ्यहीन है। जिला न्यायाधीश, सहरसा का दिनांक 21.08.2001 का आदेश, जिसमें विवाह-विच्छेद याचिका सं. 12/2001 को सहरसा के न्यायालय से वापस ले लिया गया था, यह अभिलिखित नहीं करता है कि विवाह-विच्छेद याचिका मधेपुरा में दायर किए जाने के लिए वापस ली जा रही है। बल्कि

आदेश में उल्लेख किया गया है कि विवाह-विच्छेद की याचिका को उचित अधिकार क्षेत्र के न्यायालय के समक्ष दायर करने के लिए वापस लिया जा रहा है। उक्त आदेश का सारवान भाग निम्नानुसार हैः

> *"वादी/याचिकाकर्ता की ओर से एक याचिका दायर की गई है जिसमें वाद पत्र को वापस लेने का अनुरोध किया गया है ताकि इसे उचित अधिकार क्षेत्र के न्यायालय में दायर किया जा सके क्योंकि तत्काल मामले में इस मामले का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। वादी/याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलें सुनी गई।*
>
> *चूँकि वादी/याचिकाकर्ता स्वयं वाद को वापस लेना चाहता है, इसलिए इस वाद का वाद पत्र तदनुसार वापस कर दिया जाए। तदनुसार यह मुकदमा निपटान किया जाता है।"*

अपीलार्थी, किसी भी मामले में, विवाह-विच्छेद याचिका में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के बाद प्रत्यर्थी द्वारा दायर विवाह-विच्छेद याचिका पर विचार करने के लिए दिल्ली के न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति कर सकती थी, लेकिन उसने तामील किए जाने और सुनवाई की तारीख की पर्याप्त सूचना के बावजूद उपस्थित नहीं होने का चुनाव किया।

27. प्रत्यर्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता का एक और निवेदन यह है कि एक पक्षीय डिक्री के सत्रह महीने बाद, प्रत्यर्थी ने पुनर्विवाह कर लिया है और अब दूसरी शादी से उसके दो बच्चे हैं एक बेटा जिसकी उम्र लगभग 16 वर्ष है। और लगभग 15 साल की एक बेटी। तर्कों के दौरान, हमने विशेष रूप से अपीलार्थी के सामने रखा है कि क्या वह प्रत्यर्थी की दूसरी शादी को स्वीकार करती है,

जिस पर उसका जवाब टालमटोल करने वाला है। वह कहती है कि प्रत्यर्थी की दूसरी शादी वर्तमान अपील का विषय नहीं है और दूसरी शादी की विधिक स्थिति के बारे में निर्णय न्यायालय को लेना है। हालांकि, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी की दूसरी शादी के तथ्य से इनकार या विवाद नहीं किया। इसके विपरीत, प्रत्यर्थी ने दिनांक 08.08.2007 के एक शपथ पत्र द्वारा इस तथ्य को अभिलेख में रखा है कि उसने दिनांक 24.11.2004 को पुनर्विवाह किया है।

28. प्रत्यर्थी के दूसरे विवाह की कानूनी स्थिति और वर्तमान अपील पर इसके प्रभाव का परीक्षण अधिनियम की धारा 15 के आधार पर किया जाना है, जो इस प्रकार हैः

> ***"15. कब विवाह-विच्छेद प्राप्त व्यक्ति पुनः विवाह कर सकेंगे*** *- जब कि विवाह- विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह विघटित कर दिया गया हो और या तो डिक्री के विरुद्ध के अपील करने का कोई अपील करने का कोई अपील करने का कोई अधिकार ही न हो या यदि अपील का ऐसा अधिकार हो तो अपील करने के समय का ऐसा अधिकार हो तो अपील करने के समय का कोई अपील उपस्थित हुए बिना अवसान हो गया हो या अपील की गई हो किन्तु खारिज कर दी गई हो तब विवाह के किसी पक्षकार के लिए पुनः विवाह करना विधिपूर्ण होगा।"*

29. अधिनियम की धारा 15 के अनुसार, विवाह का कोई भी पक्ष विवाह करने के अपने अधिकार के भीतर है, जब अपील दायर करने का समय बिना किसी अपील के दायर किए बिना समाप्त हो गया है, या अपील प्रस्तुत की गई है, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया है। दूसरी शादी करने के लिए

प्रतिबंध या बाधा अपील विचाराधीन होने के दौरान केवल तभी संचालित होती है जब अपील परिसीमा की अवधि के भीतर अपील दायर की जाती है। दूसरे शब्दों में, यह प्रावधान विवाह-विच्छेद की डिक्री के अंतिम होने के बाद ही पक्षों को फिर से शादी करने में सक्षम बनाता है।

30. अधिनियम की धारा 15 का प्रावधान ***कृष्णवेणी राय बनाम पंकज राय व अन्य (2020) 11 एससीसी 253*** में सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय का विषय रहा है और उस मामले में अपीलार्थी पत्नी के पूर्व पति ने पुनर्विवाह किया क्योंकि परिसीमा अवधि के भीतर कोई अपील दायर नहीं की गई थी। अपीलार्थी पत्नी द्वारा परिसीमा की अवधि समाप्त होने के लगभग एक वर्ष बाद अपील दायर की गई थी। इस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 15 का प्रतिबंध लागू नहीं हुआ था, पूर्व पति के लिए पुनर्विवाह करना विधिसम्मत था और अपील आरम्भ से ही निरर्थक थी। निर्णय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

> "28. *धारा 15 स्पष्ट करती है कि जब विवाह को विवाह-विच्छेद की डिक्री द्वारा भंग कर दिया गया है, और डिक्री के खिलाफ अपील का कोई अधिकार नहीं है, या यदि अपील का ऐसा अधिकार है, तो अपील करने का समय अपील किए बिना समाप्त हो गया है, या अपील प्रस्तुत की गई है, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया है, तो विवाह के किसी भी पक्ष के लिए पुनः विवाह करना वैध होगा। यदि यह विधायी इरादा होता कि अपील लंबित रहने के दौरान किसी विवाह को अमान्य घोषित किया जाना*

चाहिए, तो धारा 11 में स्पष्ट रूप से ऐसा प्रावधान किया गया *होता।*

29. जैसा कि इस न्यायालय ने अनुराग मित्तल बनाम शैली मिश्रा मित्तल [अनुराग मित्तल बनाम शैली मिश्रा मित्तल, (2018) 9 एससीसी 691 : (2018) 4 एससीसी (सीआईवी) 550], में अभिनिर्धारित किया था कि धारा 15 का उद्देश्य उस व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना है जिसने विवाह के विघटन की डिक्री के खिलाफ अपील दायर की थी और यह सुनिश्चित करना है कि ऐसी अपील विफल न हो। धारा 15 द्वारा प्रदत्त सुरक्षा मुख्य रूप से विवाह-विच्छेद की डिक्री का विरोध करने वाले व्यक्ति को दी जाती है। जैसा कि न्यायमूर्ति बोबडे ने अनुराग मित्तल [अनुराग मित्तल बनाम शैली मिश्रा मित्तल, (2018) 9 एससीसी 691 : (2018) 4 एससीसी (सीआईवी) 550] : (एससीसी पृष्ठ सं. 702-703, पैरा 31 व 33) में अपने समवर्ती निर्णय में कहा:

"मैं न्यायमूर्ति नागेश्वर राव द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से सहमत हूं, लेकिन यह बताना आवश्यक है कि लीला गुप्ता बनाम लक्ष्मी नारायण [लीला गुप्ता बनाम लक्ष्मी नारायण, (1978) 3 एससीसी 258] में निर्णय द्वारा हमारे सामने रखे प्रश्न को पहले ही कैसे सुलझा लिया गया है। यहां तक कि जब परन्तुक के शब्दों को स्पष्ट नकारात्मक शब्दों में निषेधात्मक पाया गया - "यह विधिसम्मत नहीं होगा", आदि, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि परंतुक द्वारा लगाए गए विवाह की असमर्थता से लीला गुप्ता के पैरा 9 [लीला गुप्ता बनाम लक्ष्मी नारायण, (1978) 3 एससीसी 258] द्वारा शून्यता का निष्कर्ष नहीं निकलता है, शून्यता का अनुमान लगाना तब और भी अधिक कठिन हो जाता है जब कोई निषेध नहीं है; जहां कोई नकारात्मक शब्द नहीं हैं, लेकिन दूसरी ओर सकारात्मक शब्द जैसे "यह वैध होगा" है। यह मानते हुए कि ऐसा करने के लिए वैध होने से पहले अनुबंधित

विवाह विधि विरुद्ध था और शब्द एक अक्षमता पैदा करते हैं, लीला गुप्ता मामले के पैराग्राफ 9 व 10 [लीला गुप्ता बनाम लक्ष्मी नारायण, (1978) 3 एससीसी 258] के तहत एक शून्यता या शून्यता का अनुमान लगाना संभव नहीं है।...

*****

33. सार में जो अभिनिर्धारित किया जाता है वह यह है कि यदि विधि का कोई प्रावधान विवाह करने में असमर्थता निर्धारित करता है और फिर भी व्यक्ति उस असमर्थता के तहत विवाह करता है, तो विवाह अमान्य घोषित करने वाले एक स्पष्ट प्रावधान के अभाव में शून्य नहीं होगा जो उसे अमान्य घोषित करता है। संविधि द्वारा लगाई गई अक्षमता के सम्बन्ध में, सकारात्मक भाषा द्वारा लगाई गई अक्षमता के बीच कोई अंतर नहीं है जैसे कि "यह वैध नहीं होगा" या सकारात्मक भाषा द्वारा लगाई गई अक्षमता जैसे "यह वैध होगा (निश्चित शर्तों में, जिसके अभाव में यह निहित रूप से अवैध है)"। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि इस न्यायालय द्वारा विधि पहले से ही स्थापित किया गया है कि एक निर्धारित अवधि के दौरान अनुबंधित विवाह अमान्य नहीं होगा क्योंकि यह एक असमर्थता के तहत अनुबंधित किया गया था। जाहिर है, इसका वैध विवाह की अन्य शर्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लीला गुप्ता [लीला गुप्ता बनाम लक्ष्मी नारायण, (1978) 3 एससीसी 258] मामले में निर्णय इस प्रकार विधि पर वर्तमान मामले को शामिल करता है।"

31. <u>किसी भी मामले में, धारा 15 का प्रतिबंध इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में बिल्कुल भी लागू नहीं होता है, जहां विवाह-विच्छेद की डिक्री के विरुद्ध अपील दायर करने के लिए सीमा की अवधि समाप्त होने के लगभग एक साल बाद दायर की गई थी। धारा 15 विवाह विघटन के बाद विवाह की अनुमति देती है यदि डिक्री के खिलाफ अपील का कोई अधिकार नहीं है, या यदि अपील करने का ऐसा अधिकार है भी अपील का समय अपील प्रस्तुत किए</u>

बिना समाप्त हो गया है, या अपील प्रस्तुत की गई है लेकिन खारिज कर दी गई है। इस मामले में, परिसीमा द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई थी।

32. हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत वर्जन, यदि कोई हो, केवल तभी लागू होता है जब परिसीमा अवधि के भीतर अपील दायर की जाती है, और बाद में अपील दायर करने में देरी की माफ़ी पर नहीं, जब तक कि निश्चित रूप से, विवाह-विच्छेद की डिक्री पर रोक नहीं लगा दी जाती है या न्यायालय का कोई अंतरिम आदेश नहीं होता है, जो पक्षकारों या उनमें से किसी को अपील लंबित रहने के दौरान पुनर्विवाह करने से रोकता है।

33. *जैसा कि ऊपर देखा गया है, अपील सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, आरम्भ से ही निरर्थक थी, क्योंकि अपीलार्थी के पूर्व पति ने अपील दायर करने की परिसीमा की अवधि समाप्त होने के बाद विधिवत पुनर्विवाह किया था, तब तक कोई अपील नहीं थी।"*

(जोर दिया गया)

31. जब ***कृष्णवेणी राय (उपर्युक्त)*** में उपरोक्त निर्णय का सामना किया जाता है, तो अपीलार्थी प्रस्तुत करता है कि यह उस मामले में लागू नहीं होगा जहां पति ने विवाह-विच्छेद की एकपक्षीय डिक्री प्राप्त की है और वह भी धोखाधड़ी करके।

32. यह सामान्य बात है कि डिक्री बनने के बाद विवाह का विघटन पूर्ण हो जाता है। विवाह-विच्छेद की डिक्री वैवाहिक बंधन को तोड़ देती है और पक्षकार एक-दूसरे के संबंध में पति और पत्नी का दर्जा खो देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अधिनियम की धारा 15 द्वारा उपबंधित दूसरे विवाह का अनुबंध करने के लिए

सक्षम हो जाता है। विधि में विवाह-विच्छेद की एकपक्षीय डिक्री का प्रभाव किसी विवादित डिक्री से भिन्न नहीं है। यहां तक कि अधिनियम की धारा 15 भी विवादित डिक्री और एकपक्षीय डिक्री के बीच कोई अंतर नहीं करती है। इसलिए, विवाह-विच्छेद की एकपक्षीय डिक्री के मामले में भी विवाह के किसी भी एक पक्षकार के लिए पुनः विवाह करना वैध होगा यदि परिसीमा की अवधि के भीतर ऐसी डिक्री के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की गई है।

33. वर्तमान मामले में परिसीमा की अवधि के भीतर या उसके बाद भी कोई अपील दायर नहीं की गई थी। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 13 के तहत आवेदन भी एकपक्षीय डिक्री की तारीख से सत्रह महीने के बाद दायर किया गया था, जबकि परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 123 के तहत डिक्री की तारीख से तीस दिनों की परिसीमा अवधि प्रदान की गई थी, इसके बावजूद कि अपीलार्थी को विधिवत समन तामील किया गए थे। इन परिस्थितियों में, प्रत्यर्थी पति के लिए पुनः विवाह करना वैध था। हम पहले ही देख चुके हैं कि प्रत्यर्थी द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं की गई है। विधि में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपीलार्थी को समन तामील किये गए थे। यह स्थिति होने के कारण, प्रत्यर्थी-पति द्वारा दूसरी शादी के एक दिन बाद अपीलार्थी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 13 के तहत दायर एक आवेदन, सभी व्यावहारिक उद्देश्यों हेतु, आरम्भ से ही, निरर्थक था। वर्तमान अपील भी समान है।

34. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, अपील में कोई गुणागुण नहीं है और तदनुसार, इसे खारिज किया जाता है।

न्या. विकास महाजन

न्या. संजीव सचदेवा

21 अप्रैल, 2023

एमके

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*